न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

98

प्रकरण क्रमांक III / निग. / भिण्ड / भू.रा. / 2017 / 3771

1. कुलदीप पुत्र श्री सुरेश त्यागी
2. परमोबाई पुत्र श्री मांगन,
3. श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री श्री सूरजराम,
निवासीगण कनाथर, तहसील मेहगांव,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

—— आवेदकगण

बनाम

श्याम लाल पुत्र श्री वंशी,
निवासी — कनाथर, तहसील मेहगांव,
जिला भिण्ड (म0प्र0) —— अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.08.2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 26 / 2016—17 / निगरानी से असंतुष्ट होकर।

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः—

1— यहकि, अनावेदक द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 1680 रकवा 6 बीघा 12 विस्वा तथा सर्वे क्रमांक 1769 रकवा 8 बीघा 6 विस्वा स्थित ग्राम कनाथर, परगना मेहगांव, जिला भिण्ड पर भूमिस्वामी के स्वत्व, की घोषणा हेतु बाद सिविल न्यायालय न्यायाधीश, वर्ग—1, मेहगांव के समक्ष प्रकरण क्रमांक 46ए1998 के आदेश दिनांक 29.08.2006 से स्वत्व संबंधी डिकी अनावेदक के पक्ष में पारित की गयी थी।

अनेक्चर— P-9

2— यहकि, आवेदकगण द्वारा उक्त आदेश दिनांक 29.08.1966 के प्रकरण क्रमांक 46ए / 1998 को सिविल न्यायालय न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक, गोहद, भिण्ड के समक्ष द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 12ए / 07 अ0दी0 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 07.05.2007 द्वारा अनावेदक की डिकी दिनांक 29.08.2006 अपास्त कर दी गयी एवं ... डिकी पारित की गयी है।

XXIX(a)-BR(H)-11 (98)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3771

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	